



दिनांक: 18.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर एव थाना साइबर क्राइम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आमजन से आनलाइन धोखाधड़ी/ फ्राड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 शातिर जालसाज अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से धोखाधड़ी में प्रयुक्त सामग्री, 8000/- रुपये नकद व अन्य दस्तावेज बरामद

बरामदगी का विवरण-

- 01 लैपटॉप LENOVO
- 01 लैपटॉप HP ELITE BOOK
- 18 मोबाइल फोन,
- 13 एटीएम कार्ड
- 01 पैन कार्ड ,
- 19 सिम कार्ड,
- 03 बैंक पासबुक,
- 04 बैंक चैकबुक,
- 05 चैक टीएमबी बैंक,
- 03 चैक जम्मु एण्ड कश्मीर बैंक,
- 07 अदद कार्ड YUVMANGAL
- 8000/- रुपये नकद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.01.2025 को शिकायकर्ता श्री नवीन कुमार पुत्र मान सिंह निवासी मौहल्ला नयाबांस मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित शिकायत बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर वादी का पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक की शाखा, अम्बाला रोड घण्टाघर सहारनपुर में खाता खुलवाना व बैंक का एटीएम व चैकबुक, पासबुक, सिम कार्ड को अभियुक्तों द्वारा खुद ले लेना तथा लोगो के साथ ठगी करके वादी के बैंक खाता में ठगी का पैसा मंगवाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 318(4) B.N.S व 66D आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर को आदेश-निर्देश दिया गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस व थाना साइबर क्राइम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में आमजन के साथ आनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 07 शातिर साइबर ठग/अभियुक्तगण 1. अरूण तिवारी उर्फ शिवा पुत्र श्री विनोद तिवारी निवासी 62 मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर, 2. कपिल चौधरी पुत्र स्व0 महकार सिंह चौधरी निवासी जनक नगर सीडीएम वाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 3. वरदान सागर पुत्र सुरेश रस्तोगी निवासी राघव पुरम कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 4. शशांक गर्ग पुत्र स्व0 प्रवीण गर्ग निवासी वैशाली विहार कालौनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर, 5. आशीष पुत्र ओमपाल निवासी मानकमऊ नयाबांस निकट रविदास मन्दिर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर, 6. विवेक कुमार पुत्र कुलदीप कुमार निवासी मानकमऊ नयाबांस निकट रविदास मन्दिर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व 7. गौरव पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मानकमऊ से नकुड जाने वाले रास्ते पर पशु पैठ पर बनी बैठने की

जगह से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद लैपटाप LENOVO, एक अदद लैपटॉप HP ELITE BOOK, 18 अदद मोबाईल फोन, 13 अदद एटीएम कार्ड, 07 अदद सीम कार्ड, एक अदद पैन कार्ड, 12 अदद सिम कार्ड, 03 अदद बैंक पासबुक, 04 अदद बैंक चैकबुक, 05 अदद चैक टीएमबी बैंक, 03 अदद चैक जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक, 07 अदद कार्ड YUVMANGAL व 8000/- रुपये नकद बरामद । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर एक साथ बताया कि हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सीधे साधे व भोले भाले लोगो से बैंकों में उनका खाता खुलवाकर उन्हे रूपयों का लालच देकर उनके बैंक खातों की पासबुक/चैकबुक/एटीएम कार्ड/सिमकार्ड लेकर उनके खातों में आनलाईन फ्रांड करके रूपये मंगवाते है और रूपयों को आपस में बाँट लेते है तथा खाता उपलब्ध कराने के लिये खाताधारक को कुछ रूपये दे देते है तथा अभियुक्तो के पास से मिले 8000/- रूपये के बारे में पूछने पर बताया कि आनलाईन ठगी करके खातों में आये रूपयों में से हिस्से आये रूपयों में खर्च करने के बाद ये शेष बचे रूपये है जो हमसे आपको बरामद हुए है और सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि इसी तरह हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नितिन पुत्र ब्रजपाल व राहुल पुत्र राम सिंह, मान सिंह पुत्र हुकमचन्द निवासी गण मानकमऊ नयाबास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर तथा सन्नी पुत्र मोहर सिंह निवासी राजपुरा सहारनपुर के खातों में भी हमने इसी तरह आनलाईन ठगी करके रूपये मंगवाये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अरूण तिवारी उर्फ शिवा पुत्र श्री विनोद तिवारी निवासी 62 मिशन कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. कपिल चौधरी पुत्र स्व0 महकार सिंह चौधरी निवासी जनक नगर सीडीएम वाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. वरदान सागर पुत्र सुरेश रस्तोगी निवासी राघव पुरम कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. शशांक गर्ग पुत्र स्व0 प्रवीण गर्ग निवासी वैशाली विहार कालौनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
5. आशीष पुत्र ओमपाल निवासी मानकमऊ नयाबांस निकट रविदास मन्दिर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
6. विवेक कुमार पुत्र कुलदीप कुमार निवासी मानकमऊ नयाबांस निकट रविदास मन्दिर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
7. गौरव पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 अदद लैपटॉप,
- 18 अदद मोबाईल फोन,
- 13 अदद एटीएम कार्ड
- 07अदद सिम कार्ड,
- 01 अदद पैन कार्ड,
- 03 अदद बैंक पासबुक,
- 04 अदद बैंक चैकबुक,
- 05अदद चैक टीएमबी बैंक,
- 03 अदद चैक जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक,
- 07 अदद कार्डYUVMANGAL,
- 12 अदद सिम कार्ड
- 8000/-रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. अति निरीक्षक श्री कंवरपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 अशोक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

4. उ0नि0 असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. उ0नि0 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
10. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
11. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
12. है0का0 730 सचिन कुमार , थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
13. का0 1913 राजन मय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
14. कम्प्यूटर ऑपरेटर (एएसआई) गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर ।
15. का0 2195 अनिल कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा पर्स चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया पर्स व 700/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.01.2025 को वादी श्री तुषार श्रीवास्तव पुत्र दिनेश श्रीवास्तव निवासी नवीन नगर थाना सदर बाजार की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का पर्स, आधार कार्ड सेन्टर से चोरी कर ले जाने जिसमें लगभग 700 रु व आधार कार्ड होने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 026/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पर्स चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त **1. दीपक उर्फ दीदी पुत्र चमनलाल नि. चुन्हेटी गाढा थाना रामपुरमनिहारन जनपद सहारनपुर** को ग्राम फतेहपुरजड़ के पास भट्टे से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किया पर्स व 700/- रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिस पर जनपद सहारनपुर के अलग-अलग थानों पर लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह पर्स मैंने आधार कार्ड सेन्टर से व्यक्ति की जेब से चोरी किया था और वहा से भाग गया था जिसमें 700 रु नकद व 01 आधार कार्ड मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

दीपक कुमार उर्फ दीदी पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हेटी गाढा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 पर्स चोरी गया पर्स
- 700/- रुपये नकद
- 01 अदद आधार कार्ड

अभियुक्त दीपक उर्फ दीदी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 365/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर।
2. मु0अ0सं0 65/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट व 398/401 भादवि थाना रामपुर मनिहारन स0पुर।
3. मु0अ0सं0 382/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन स0पुर।
4. मु0अ0सं0 61/22 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

5. मु0अ0सं0 185/21 धारा 4/25आर्मस थाना सदर बाजार जनपद स0पुर ।
6. मु0अ0सं0 225/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद स0पुर ।
7. मु0अ0सं0 286/23 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर ।
8. मु0अ0सं0 467/24 धारा 304(2) / 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 646/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर
10. मु0अ0सं0 657/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर ।
11. मु0अ0सं0 33/23 धारा 365 भादवि थाना सरसावा जनपद स0पुर ।
12. मु0अ0सं0 167/19 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद स0पुर ।
13. मु0अ0सं0 639/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद स0पुर
14. मु0अ0सं0 81/21 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर
15. मु0अ0सं0 94/21 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार जनपद स0पुर
16. मु0अ0सं0 95/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 825 मनोज थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



दिनांक: 18.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद व चोरी का माल खरीदने वाला दुकानदार/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि श्री धीर सिंह द्वारा थाना कुतुबशेर आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय सहारनपुर द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में अभियुक्त अहसान पुत्र इनाम नि0 खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304/2024 धारा 306/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी का माल अभियुक्त की निशानदेही पर 07 कट्टे जिनमें दो कट्टे ELBOW, तीन कट्टे TEE, दो कट्टे COUPLER जिन पर अंग्रेजी में APL, APOLLO PIPING SYSTEMS MADE FOR LIFE लिखा है व एक कट्टा खुला हुआ COUPLER का जिसको खाली करके गिनती की गयी तो 200 पीस COUPLER के है जिन्हे पुनः उसी खुले कट्टे मे किया गया एवं एक पेटी खुली जिस पर अंग्रेजी में APL, APOLLO लिखा है जिसके अन्दर FTA (BRASS) है जिसको खाली करके गिनती की गयी तो 263 पीस है जिन्हे पुनः उसी पेटी मे किया गया एवं दुसरी खुली पेटी जिसपर अंग्रेजी में APL, APOLLO लिखा है जिसके अन्दर FTE ELBOW है जिसको खाली करके गिनती की गयी तो 145 पीस है जिन्हे पुनः उसी पेटी मे किया गया, बरामद किया गया है तथा चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार एक अन्य अभियुक्त मौ0 तालिब पुत्र ताहिर हसन निवासी फरमान मस्जिद वाली गली फरमान बस्ती खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर को खाताखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मौ0 तालिब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं अहसान से कभी कभी चोरी का माल कम रेट में ले लेता हूँ और अधिक दामो मे बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

पीसीआर पर लिये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

अहसान पुत्र इनाम नि0 खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौहम्मद तालिब पुत्र ताहिर हसन निवासी फरमान मस्जिद वाली गली फरमान बस्ती खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 कट्टे ELBOW,
- 03 कट्टे TEE,
- 02 कट्टे COUPLER (01 COUPLER के कट्टे में 200 पीस)
- 01 पेटी खुली FTA (BRASS) के 263 पीस)
- 01 खुली पेटी (जिसके अन्दर FTE ELBOW के 145 पीस)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 31 सुभाषचन्द कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1057 शक्ति सिंह कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 18.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हरियाणा से चोरी मोटरसाइकिल सहित 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा थाने के पीछे पुराने पुल पर चौकी के दौरान कस्बा गागलहेडी की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसके पुलिस टीम ने रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मो0सा0 मोडकर/घुमाकर भागने लगा तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी, पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर **अभियुक्त आशिष पुत्र शिषपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 009/2025 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं भगवानपुर (रूडकी) में प्राइवेट नौकरी करता हूँ आने जाने के लिए मेरे पास मो0सा0 नहीं थी तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में स्वामी विवेकानन्द अस्पताल के बाहर से मो0सा0 चोरी कर ली थी और घर लाकर उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर UP 11 P 9658 लगा दी थी जिससे पुलिस न पकड़ सके। चालान ऐप डालकर चैक किया गया तो उक्त मोटर साइकिल का असली रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 71H4266 है जिसके मालिक का नाम ललित सरोज पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम खारवन थाना सदर जगाधरी यमुना नगर (हरियाणा) है मोटरसाइकिल मालिक से फोन करके जानकारी की गयी तो बताया गया कि मेरी उपरोक्त मोटर साइकिल न0 HR 71H4266 करीब 03 माह पहले चोरी हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशिष पुत्र शिषपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल HR 71H4266 (जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP11P9658 लगी थी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **गुलअयाज पुत्र अलीहसन निवासी शाहनूर जी पीलियो वाली गली थाना मंडी जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 3333/23 व मु०अ०सं०- 306/20 अंतर्गत धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना को० नगर नियत दिनांक 04.02.2025 (मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में थाना मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलअयाज पुत्र अलीहसन निवासी शाहनूर जी पीलियो वाली गली थाना मंडी जिला सहारनपुर

सहारनपुर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का० 2199 विष्णु चौधरी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 176 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) व 01 गाडी आई-20 बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त राशिद पुत्र यासीन निवासी गांव हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर को यमुना नहर खैरी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 176 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये) व 01 गाडी i-20 CAR (UP55H9999) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राशिद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 05/2025 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे बरेली से यह नशीला सामान थोड़े सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगो को महगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है और मैं अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूर कर लेता हूँ। जिस व्यक्ति से मैं यह नशीला सामान खरीद कर लाता हूँ उसका नाम पता मैं नहीं जानता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राशिद पुत्र यासीन निवासी गांव हमजागढ थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 176 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 गाडी आई-20 (UP55H9999)

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 191/09 धारा 302/307/120बी भादवि चालानी थाना नानौता।
2. मु0अ0सं0 198/09 धारा 307 भादवि चालानी थाना नानौता।
3. मु0अ0सं0 200/09 धारा 414 भादवि चालानी थाना नानौता।
4. मु0अ0सं0 307/09 धारा 307 भादवि चालानी थाना नानौता।
5. मु0अ0सं0 199/09 धारा 3/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना नानौता।
6. मु0अ0सं0 70/18 धारा 60/63/72 आबकारी व 420 भादवि चालानी थाना सरसावा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हे0का0 861 धर्मसिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक - 18.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई एक बैटरी

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2025 को वादी श्री विशाल पुन्डीर पुत्र सुरेन्द्र पुन्डीर निवासी बेरीबाग सुखपुरा ताराचन्द वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत शिवालिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के वाहन सं० HR 58C 3676 से आये अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी सं० UP 11BT 9745 की एमारोन कम्पनी की बैटरी को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 20/25 धारा 303(2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए चोरी घटना में प्रकाश में आये **अभियुक्त मौ० नदीम पुत्र मौ० महताब नि० ग्राम पाडौली थाना नागल सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे खण्डहर पडी जगह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी एमारोन कम्पनी की बैटरी को बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछने पर अभि० द्वारा बताया गया कि मैं अपने शौक पूरे करने के लिए बन्द पडी जगहों तथा सड़क किनारे खडी गाडियों से चोरी करता हूँ। दिनांक 18.01.25 की रात को भी मैंने गाडी सं० UP 11BT 9745 की एमारोन कम्पनी की एक बैटरी चोरी की थी। इस बैटरी को मैं आज बेचने की फिराक में खडा था, कि आप पुलिस वालों ने मुझे पकड लिया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौ० नदीम पुत्र मौ० महताब नि० ग्राम पाडौली थाना नागल सहारनपुर उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01 बैटरी एमारोन कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टियों का नाम:-

1. उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है०का० 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. है०का० 731 पोपीन कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में 05 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्तगण

1. रमन पुत्र ब्रजपाल निवासी मौ० बाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 4520/24 व मु०अ०स० 478A/12 धारा 323/355 भादवि में नियत दिनांक 23.01.2025 (मा० न्यायालय एसीजेएम-3 सहारनपुर) में,
2. ललित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1702/24 व मु०अ०स० 131/14 धारा 323/504 भादवि में नियत दिनांक 23.01.2025 (माननीय न्यायालय एसीजेएम-3 सहारनपुर) में,
3. रजत पुत्र राजकुमार नि० गोपालनगर थाना को०नगर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1702/24 मु०अ०स० 131/14 धारा 323/504 भादवि 23.01.2025 (माननीय न्यायालय एसीजेएम-3 सहारनपुर) में,
4. कमल पुत्र सतीश निवासी मौ० गोपाल नगर थाना को०नगर सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1702/24 व मु०अ०स० 131/14 धारा 323/504 भादवि में नियत दिनांक (माननीय न्यायालय एसीजेएम-3 सहारनपुर) में व
5. यशपाल सिंह पुत्र श्री रामशरण दास निवासी मौ० गढी मलूक न० 1 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद सं 2821/24 व परिवाद सं० 483/17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट में नियत दिनांक 20.01.2025 (मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर) में दबिश देकर थाना क्षेत्र कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रमन पुत्र ब्रजपाल निवासी मौ० बाल्मिकी बस्ती जनता रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. ललित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. रजत पुत्र राजकुमार नि० गोपालनगर थाना को०नगर सहारनपुर
4. कमल पुत्र सतीश निवासी मौ० गोपाल नगर थाना को०नगर सहारनपुर
5. यशपाल सिंह पुत्र श्री रामशरण दास निवासी मौ० गढी मलूक न० 1 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ०नि० श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अमरीश कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. का० 1438 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. का० 2017 चिराग थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
5. का० 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.01.2025 दिन शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, सहारनपुर के निर्देशन में माननीय न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 19 बिन्दुओं के प्रारूप में त्रुटिरहित सूचना अंकित कर प्रेषित करने के सम्बन्ध में जनपद में नियुक्त विवेचकों की ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन विधि विशेषज्ञ द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर स्थित जिला प्रशिक्षण इकाई (डी०टी०यू०) में किया गया। जिसमें श्री मनोज कुमार चौरसिया, श्री विकास कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी, सहारनपुर द्वारा विवेचकों को 19 बिन्दुओं के प्रारूप में त्रुटिरहित सूचना अंकित कर प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। जिसमें जनपद सहारनपुर के थानों पर नियुक्त 121 विवेचकों द्वारा ऑफलाईन/ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.01.2025 दिन शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर स्थित जिला प्रशिक्षण इकाई (डी०टी०यू०) में पुलिसकर्मियों को कोटपा अधिनियम-2003 के प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मुदरसर अली जिला सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, सहारनपुर द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में जनपद से लगभग 60 पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में श्री बीरेन्द्र बहादुर, प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120

ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.01.2025 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **साजिद उर्फ निन्हा पुत्र मीर अहमद नी0 पानी की टंकी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 38/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह चरस जंगल में भांग रगड़ रहे अज्ञात व्यक्तियों से खरीदकर लाया था जिन्हे मैं नहीं जानता हूँ इस चरस को कुछ तो मैं पी लेता हूँ और कुछ को बेच देता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साजिद उर्फ निन्हा पुत्र मीर अहमद नी0 पानी की टंकी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 120 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0006/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 0007/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी स0पुर
3. मु0अ0सं0 0112/20 धारा 188 भादवि थाना कोतवाली मण्डी स0पुर
4. मु0अ0सं0 0114/21 धारा 4/25 आर्म्स थाना कोतवाली मण्डी स0पुर
5. मु0अ0सं0 0195/15 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी स0पुर
6. मु0अ0सं0 0258/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी मण्डी समिति थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. हे0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर